

डजिटल प्लेटफॉर्म 'फास्टर' (FASTER)

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) (CJI) ने डजिटल प्लेटफॉर्म 'FASTER' (फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स) लॉन्च किया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रणाली में [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस](#) (AI) आधारित [पोर्टल 'SUPACE'](#) जैसी तकनीक से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी शुरू किये हैं, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना है।
- ['eCourts' मशिन मोड प्रोजेक्ट](#) एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी नगिरानी और वित्तपोषण न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के ज़िला न्यायालयों के लिये किया जाता है।
 - परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों की ICT सक्षमता के माध्यम से वादी, वकील और न्यायपालिका को नामति सेवाएँ प्रदान करना है।

डजिटल प्लेटफॉर्म 'फास्टर' (FASTER) के वषिय में:

- **परचिय:**
 - यह सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिये एक डजिटल प्लेटफॉर्म है।
- **आवश्यकता:**
 - ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ जेल के कैदियों को ऐसे आदेशों के संचार में देरी के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेशों के बावजूद रहि नहीं किया गया है।
 - अतः न्यायालय के आदेशों के कुशल प्रसारण के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता थी।
- **महत्त्व:**
 - **वचिराधीन कैदियों की समय पर रहिई सुनिश्चित करना:**
 - यह सुनिश्चित करता है कि **वचिराधीन कैदियों को जेल से रहि होने के लिये कई दिनों तक इंतज़ार न करना पड़े** क्योंकि उनके जमानत आदेशों की प्रमाणित हार्ड कॉपी को जेल तक पहुँचने में बहुत समय लगता है।
 - **वचिराधीन कैदी का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जिन्हें अब तक उन अपराधों के लिये दोषी नहीं पाया गया है, जिसका आरोप उन पर लगा है।**
 - **अनावश्यक गरिफ्तारियों पर अंकुश:**
 - इससे लोगों को अनावश्यक रूप से गरिफ्तार करने या हरिसत में लेने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, भले ही उन्हें न्यायालय द्वारा पहले से ही सुरक्षा प्रदान की गई हो।
 - **कैदियों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना:**
 - यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार और गरमिपूरण जीवन के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगा।
- **चुनौतियाँ:**
 - देश भर की जेलों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता के बिना जेलों में ऐसे आदेशों का पारेषण संभव नहीं होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस